# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप (फलोदी)

अरवराजी देवी पत्नी फतेराम बनाम बगड़राम पुत्र हरजीराम वगैरह

किस्म मुकदमा 251 R RT Act मु.नं. 272 सन् 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 8/25 | प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें। मिसल दिनाक 7/10/25 को पेश हो।<br>सहायक कलेक्टर<br>बाप (जि. फलोदी) | |

03/10 1. फाइलबली वकील प्रार्थी के मिसल तलबी एवं पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के हित में सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने बाबत के प्रार्थना पत्र पर फाइलबली तलब होकर आज पेश हुई वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के हित में सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र वापस लिए जाकर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की छूट दी जाकर प्रार्थना पत्र वापस लिया जाता है पत्रावली पेश्तर शुमार हो कर दाखिल दफ्तर की जावे।

03/10

(सुकराज मीणा, RAS)

सहायक कलेक्टर

बाप (फलोदी)